

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एक 11-7/2016/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।


विषय- स्यावर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।
संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एक 11-7/नियम/चार, दिनांक 4-7-2016.

संदर्भित परिपत्र द्वारा स्यावर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी शारी निर्देशों में 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रुपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया को समसंख्यक परिपत्र दिनांक 02-09-2016 से दिनांक 30 सितम्बर, 2016 तक के लिए स्थगित किया गया था ।

2/ उपर्युक्त संबंध में कतिपय विभागों से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि त्रिशिष्ट स्वरूप के प्रकरणों के लिए व्यवस्था स्थापित करने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

3/ उपर्युक्त स्थिति को विचार में लेते हुए संदर्भित परिपत्र की प्रक्रिया को दिनांक 31-12-2016 तक के लिए स्थगित किया जाता है ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

प.क्रं. : एक 11-7/2016/नियम/चार
प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. उप महाप्रबंधक यूनिघन बैंक और इण्डिया मध्यप्रदेश भोपाल
5. उप महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक मध्यप्रदेश भोपाल
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
7. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग